न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक १०६९/दो/१४ विरूध्द आदेश दिनांक २०/३/२०१४ पारित व्दारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक १८७/१२-१३ अपील

रामजीलाल सक्सैना पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल सक्सैना
निवासी ग्राम इन्दरगंढ हाल निवासी पंचशीलनगर
दतिया - आवेदक

- विरूध्द -

श्रीमती ममता पुत्री श्री राकेश बिहारी सक्सैना
पत्नी श्री अरविन्द सक्सैना निवासी ग्राम
आसवार तहसील लहार जिला भिण्ड

- अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव ,अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक

आ दे श

(आज दिनांक 2.3.16 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र १०६९/दो/१४ रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा ५० के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग

ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक १८७/१२-१३ अपील में पारित आदेश दि २०-३-१४ के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२. प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है. वाद भूमियाँ स.नं.१७६/१/१ रकबा १.८०९ है., ३९८ रकबा ०.२५९ है. एवं ४०० रकबा ०.१९४ है., मौजा इन्दरगढ श्री छोटेलाल सक्सेना की थीं, जिनकी मृत्यु ०-११-१९९१ को हुई. निगराकार रामजीलाल स्व. छोटेलाल के पुत्र हैं, तथा गैर निगराकर ममता स्व. छोटेलाल के एक अन्य पुत्र राकेश बिहारी की पुत्री यानी छोटेलाल की पोती हैं. छोटेलाल के २ पुत्र और ४ पुत्रियाँ थीं. ममता के अनुसार छोटेलाल की वसीयत दि ५-१-१९९० के अनुसार उनकी सम्पत्ती की वारिस वो हैं. निगराकार के अनुसार यह वसीयत फर्जी है और छोटेलाल की सम्पत्ती में उनका हक़ है.

तहसीलदार इंदरगढ़ ने प्र क्र ४७/११-१२/अ-६ में पारित आदेश दि १८-७-२०१२ से वाद सम्पत्ती पर वसीयतग्रहीता ममता का नामांतरण सेव्व्कार किया. इसके विरुद्ध निगराकार ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की, जहां प्र क्र १/११-१२/अपील में आदेश दि ९-११-१२ से निगराकार के पक्ष में अपील स्वीकृत हुई. इसके विरुद्ध गैरनिगराकार ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील की, जहां प्र क्र १८७/१२-१३/अपील में पारित आक्षेपित आदेश दि २०-३-१४ से गैरनिगराकार के पक्ष में अपील स्वीकृत हुई. इसके विरुद्ध रा.मं. में यह निगरानी दायर हुई.

३. मैंने उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा अभिलेखों का अध्ययन किया.

निगराकार पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि (एक) वर्ष १९९० की कथित वसीयत फ़र्ज़ी है क्योंकि वर्ष १९९० में छोटेलाल के पास स.नं. १७६/१ रकबा १.८२९ है. था ना कि स.नं. १७६/१/१ रकबा १.८०९ है.; स.नं. १७६/१ में से ०.०२० है. भूमि का भू-अर्जन वर्ष २००४ में हुआ था, जिसके बाद स.नं. १७६/१/१ रकबा १.८०९ है. निर्मित हुआ था (जो की २००७ से २०१२ के खसरे में दिखता है); अतः, वर्ष १९९० में जब छोटेलाल, या किसी को भी, यह पता ही नहीं था की उनकी भूमि का स.नं. १७६/१/१ हो जाएगा और उसका रकबा १.८०९ है. हो जाएगा तो वह वैसा कथित वसीयत में लिख कैसे सकते थे; इस आधार पर उन्होंने वसीयत फर्ज़ी होना बताया, (दो) वसीयत में उन्होंने यह त्रुटि भी बतायी कि वर्ष १९९० में ममता की उम्र १० वर्ष होनी वसीयत में लिखी है, लेकिन उसका कोई सरपरस्त होना नहीं लिखा है, अतः वसीयत ग़लत है, (तीन) जब वसीयत में छोटेलाल के पुत्रों और पुत्रियों का उल्लेख है, तो तहसीलदार ने उन्हें सूचना और पक्षसमर्थन का अवसर दिए बगैर वसीयत को प्रमाणित कैसे मान लिया और उनको उनके अधिकार से

वंचित कर दिया; यह ग़लत था, (चार) ममता यदि कथित वसीयत किये जाने के वर्ष १९९० में १० वर्ष की थी, तो वह वर्ष १९९८ में १८ की आयु प्राप्त कर बालिग़ हो गयी; फिर उसने लम्बे अरसे बाद वर्ष ११-१२ में वसीयत के आधार पर नामांतरण का आवेदन क्यों किया, इससे भी वसीयत एवं ममता के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही संदेहास्पद बन जाती है, (पांच) वसीयत प्रमाणित करते समय तहसीलदार ने वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति के बिंदु का कोई परिक्षण नहीं किया, यह भी अनुचित था, तथा (छः) गैरनिगराकार ने अपर आयुक्त के समक्ष जो अनु.अधि. के क्षेत्राधिकार नहीं होने सम्बन्धी बिंदु उठाया, यह उन्हें अनु.अधि. के समक्ष ही उठाना चाहिए था. अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने २००६रानि१३५, १९९१रानि४१, १९९८रानि१४४ और २००९रानि३८ प्रस्तुत किये. इन आधारों पर उन्होंने अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने की मांग की.

गैरनिगराकार की ओर से यह तर्क थे कि (एक) वाद-सम्पत्ती छोटेलाल की स्व-अर्जित थी, अतः वो उसका निष्पादन अपनी इच्छानुसार कर सकते थे, जो उन्होंने वसीयत में भी लिखा है, इसके समर्थन में उन्होंने २००९रानि७७ प्रस्तुत किया, (दो) छोटेलाल का उनकी पोती और पुत्र राकेश की बेटी ममता के प्रति विशेष प्राकृतिक स्नेह था, इसीलिये उन्होंने उसके पक्ष में वसीयत की थी; छोटेलाल का दूसरा बेटा रामजीलाल अविवाहित था, उसके कोई औलाद नहीं थी, और उसे नियमित तन्ख्वाह मिलिती थी, इसलिए उनके नाम छोटेलाल ने सम्पत्ती नहीं की, (तीन) वसीयत में 'ममता, पुत्री एवं संरक्षक राकेश' लिखा है, अतः, संरक्षक नहीं लिखा होने का बिंदु उठाना ग़लत है, (चार) छोटेलाल की मृत्यु जब १९९१ में हो गयी थी, तो निगराकार ने लम्बे समय तक वारिसाना नामांतरण क्यों नहीं कराया और ममता का नामांतरण होने के बाद ही क्यों अपना अधिकार जताया, (पांच) चूंकि जब ममता ने वसीयत के आधार पर नामांतरण का आवेदन दिया, तब खसरे में छोटेलाल का ही नाम था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि ममता ने अपना आवेदन लगाने में कोई देरी की, (छः) जब अनु.अधि. के समक्ष केवल निगराकर ने अपील की थी, तो अनु. अधि. के द्वारा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में भी आदेश पारित करना ग़लत था, (सात) वसीयत में १७६/१/१ और १.८०९ है. रकबा लिखा जाना केवल टंकण त्रुटि थी जिसके आधार पर ममता को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, (आठ) वसीयत बाकायदा तहसील न्यायलय में प्रमाणित हुई थी, और निगराकार को छोड़ कर छोटेलाल के किसी

अन्य पुत्र-पुत्री ने उसका विरोध कहीं नहीं किया है. इन तर्कों के प्रकाश में उन्होंने अपर आयुक्त का आदेश यथावत रखे जाने की मांग की.

४. उपरोक्त के प्रकाश में प्रकरण में निम्न प्रमुख विचार एवं टीप योग्य बिंदु समक्ष आते हैं:

- (एक) यह बिंदु महत्वपूर्ण है कि कथित वसीयत में लिखे अनुसार उसके बनाए जाने के वर्ष १९९० में छोटेलाल के पास स.नं. १७६/१ रकबा १.८२९ है. था ना कि स.नं. १७६/१/१ रकबा १.८०९ है.; स.नं. १७६/१ में से ०.०२० है. भूमि का भू-अर्जन वर्ष २००४ में हुआ था, जिसके बाद स.नं. १७६/१/१ रकबा १.८०९ है. निर्मित हुआ था (जो की २००७ से २०१२ के खसरे में दिखता है); अतः, वर्ष १९९० में जब छोटेलाल, या किसी को भी, यह पता ही नहीं था की उनकी भूमि का स.नं. १७६/१/१ हो जाएगा और उसका रकबा १.८०९ है. हो जाएगा तो वह वैसा कथित वसीयत में लिख कैसे सकते थे.

  पहले तो १९९० की वसीयत में १७६/१ के आगे एक और /१ लगना, और फिर १.८२९ की जगह १.८०९ लिखा जाना, और फिर ठीक इन दोनों 'त्रुटियों' के अनुसार ही वर्ष २००४ में भू-अर्जन होने के बाद खसरे की प्रविष्टि निर्मित होना (स.नं. १७६/१/१, रकबा १.८०९है.), एक काफ़ी बड़े संयोग (डबल चांस) की बात है, जिसकी वजह से वसीयत प्रथमदृष्टया संदिग्ध एवं अविश्वसनीय हो जाती है.

  तदुपरांत ममता द्वारा वर्ष २००४ के बाद, जब खसरे में १७६/१/१ रकबा १.८०९ है. की प्रविष्टि आ चुकी थी, वसीयत के आधार पर नामांतरण का आवेदन दिया जाना, इस बात की ओर इशारा करता है कि यह नामांतरण आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व कूट-रचित वसीयत तैयार करने के समय उस समय की खसरा प्रविष्टियों को ही तैयार किये जा रहे वसीयतनामे में लिख दिया गया होगा, और वर्ष १९९० के सम्बंधित खसरे की स्थिति की ओर वसीयत तैयार करने वाले का ध्यान जाने से छूट गया होगा, जिसकी वजह से उक्त कथित वसीयतनामे में १९९० की खसरे की स्थिति स.नं.१७६/१ रकबा १.८२९ है. लिखी जाने की जगह वर्ष २००४ के बाद की स्थिति स.नं.१७६/१/१ रकबा १.८०९ है. लिख गयी. यदि वर्ष २००४ में स.नं.१७६/१ में से ०.०२० है. का भू-अर्जन होकर नया स.नं.१७६/१/१ रकबा १.८०९ है. ना बना होता तो ममता के पक्ष की ओर से यह कहा जाना की १७६/१/१ रकबा १.८०९ है. टंकण त्रुटि के कारण लिख गया, माना जा सकता था, किन्तु भू-अर्जन

होने के फलस्वरूप बनी खसरे की स्थिति वसीयत में प्रदर्शित हो जाना मात्र संयोग नहीं माना जा सकता. इसके पीछे षड्यंत्र होने की सम्भावना काफ़ी प्रबलता से स्पष्ट है.

इसी क्रम में, वसीयत में छोटेलाल के वारिसों का ज़िक्र होने के बावजूद उन्हें सूचना और पक्ष समर्थन का अवसर दिए बगैर वसीयत का प्रमाणीकरण कर दिया जाना, भी वसीयत की विश्वसनीयता के प्रति संदेह उत्पन्न कराता है. इस तारतम्य में १९९१रानि४१ कलपराम तथा एक अन्य वि. मुस. बिन्दूमाती - हितबद्ध व्यक्ति को सूचना दिए बगैर नामांतरण आदेश - ... - ऐसा आदेश शून्य है, विचारणीय है.

- (दो) यह सही है कि ना तो निगराकार ने और ना ही गैरनिगराकार ने छोटेलाल की वर्ष १९९१ में हुई मृत्यु के लम्बे अरसे बाद तक नामांतरण कराने के लिए कोई कदम उठाया. किन्तु यहाँ भी इस बात पर विचार करना होगा कि बतौर विधिक वारिस निगराकार का अपने पिता की भूमि पर उत्तराधिकार स्वाभाविक रूप से सुरक्षित था, जबकि गैरनिगराकार को उसका अधिकार एक विशेष इंस्ट्रूमेंट (वसीयत) के आधार पर ही मिलना था. ऐसे में, वर्ष १९९८ में बालिग़ हो जाने के बावजूद, उसने बालिग़ होने के भी लगभग १३ वर्ष बाद २०११ में जाकर उसने नामांतरण हेतु आवेदन क्यों लगाया.

  साथ ही, जब यह बात भी अभिलेख के अनुसार सही है की उक्त कथित वसीयतनामे में 'ममता, पुत्री एवं संरक्षक राकेश' लिखा है, तो जब ममता के पिता और संरक्षक राकेश के पास अपनी पुत्री गैरनिगराकार ममता के हित में वसीयत के आधार पर नामांतरण कराने के लिए वर्ष १९९१ से ही समय उपलब्ध था, तो फिर उन्होंने १९९१ से २०११ तक के २० वर्ष की लम्बी अवधि में अपनी पुत्री के हित में नामान्तरण हेतु कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की. यदि राकेश (या ममता) के पास कथित वसीयतनामा वर्ष १९९०/१९९१ से ही उपलब्ध था, तो छोटेलाल की १९९१ में मृत्यु के बाद, राकेश तुरंत उक्त सम्पत्ती ममता के नाम में, स्वयं को उसका संरक्षक बताते हुए, नामांतरित कराने का आवेदन कर सकते थे. किन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. यह भी उक्त कथित वसीयतनामे के वर्ष १९९०-९१ में विद्यमान हुए होने के बिंदु पर प्रश्नचिन्ह लगाता है.

  इस तारतम्य में मान. उच्च न्या. का १९९८रानि१४७ फेकूलाल वि. श्रीमती रमा बाई - धारा ११० - विल के आधार पर ७ वर्ष तक नामांतरण का दावा नहीं किया गया - विल संदेह की परिधि में आ जाती है, विचारणीय है.

- (तीन) वाद सम्पत्ती छोटेलाल की स्व-अर्जित थी या नहीं, यह, उक्त कथित वसीयतनामा संदिग्ध होने की स्थिति में महत्वपूर्ण नहीं रहता है. स्व-अर्जित एवं पैतृक, दोनों प्रकार की संपत्तियों की स्थितियों में, यदि वसीयत नहीं हो तो, मृतक की सम्पत्ती का निष्पादन लागू उत्तराधिकार विधि से ही होगा.
- (चार) गैरनिगराकार का यह तर्क कि 'छोटेलाल का उनकी पोती और पुत्र राकेश की बेटी ममता के प्रति विशेष प्राकृतिक स्नेह था, इसीलिये उन्होंने उसके पक्ष में वसीयत की थी; छोटेलाल का दूसरा बेटा रामजीलाल अविवाहित था, उसके कोई औलाद नहीं थी, और उसे नियमित तन्ख्वाह मिलिती थी, इसलिए उनके नाम छोटेलाल ने सम्पत्ती नहीं की', विचारणीय है. किन्तु यदि वसीयत अपने-आप में ही संदिग्ध है, तो इस तर्क का कोई महत्व नहीं बचता.
- (पांच) निगराकार को छोड़ कर छोटेलाल के किसी अन्य पुत्र-पुत्री द्वारा उक्त कथित वसीयत का विरोध कहीं नहीं किया जाने से निगराकार के अधिकार समाप्त या प्रभावित होने मान्य नहीं किये जा सकते.

  साथ ही, उनके द्वारा उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करना या नहीं करना उनका अपना विकल्प है, जिसका वे उनकी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकते हैं.
- (छः) गैरनिगराकार का यह तर्क कि 'जब अनु.अधि. के समक्ष केवल निगराकर ने अपील की थी, तो उनके (अनु. अधि. के) द्वारा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में भी आदेश पारित करना ग़लत था', भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अनु.अधि. ने कथित वसीयत को मान्य किये जाने योग्य ना पाकर ही छोटेलाल के समस्त प्रथम डिग्री के वारिसों के पक्ष में अपना आदेश किया है. जब तक ऐसे कसी भी वारिस द्वारा अपना हक़ त्याग ना किया जाए, तब तक अनु.अधि. उसको उत्तराधिकार के विधिक अधिकार से स्वमेव वंचित नहीं कर सकते थे. अतः, अनु.अधि. के आदेश में उक्त बिंदु पर कोई त्रुटि नहीं पायी जाती.
- (सात) गैरनिगराकार का यह कहना कि चूँकि इंदरगढ़ तहसील सेवढ़ा उपसंभाग में है, इस लिए अनु.अधि. सेवढ़ा के समक्ष अपील ना होकर अनु.अधि. इंदरगढ़ के समक्ष अपील होना क्षेत्राधिकार का दोष उत्पन्न करता है, सीधे सीधे निरस्ती योग्य है, क्योंकि इंदरगढ़ तहसील सेवढ़ा उपसंभाग में होने के कारण अनु.अधि. सेवढ़ा ही अनु. अधि. इन्दरगढ़

होता है और इंदरगढ़ तहसील के सम्बन्ध में वो अनु. अधि. इंदरगढ़ होता है, इसमें कोई शंका नहीं है.

- (आठ) गैरनिगराकार पक्ष का यह कहना की वसीयत बाकायदा तहसील न्यायलय में प्रमाणित हुई थी, और निगराकार पक्ष का यह कहना कि वसीयत प्रमाणित करते समय तहसीलदार ने वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति के बिंदु का कोई परिक्षण नहीं किया, ऊपर की जा चुकी विवेचना के क्रम में अधिक महत्वपूर्ण नहीं बचते हैं.

५. उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही एवं विवेचना के उपरान्त एवं उसके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि. २०-३-१४ स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, अतः मैं उसे एतदद्वारा निरस्त करता हूँ, और अनु. अधि. के आदेश दि. ९-११-१२ को यथावत करता हूँ.

निगरानी स्वीकृत की जाती है.

आदेश पारित.

पक्षकार सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा.द. हो.

2.3.16

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर